भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4111
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कार्य कराना

4111. श्री सचिदानन्दम आरः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कार्यालय की रख-रखाव, ड्राइविंग, संरक्षण, टावरों के रख- रखाव और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के रख-रखाव सहित बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण जैसे संविदा कार्यों के लिए अनुमोदित ठेकेदारों के साथ काम करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे ठेका कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी, कर्मबारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बोनस, उपस्थिति रजिस्टरों के रख-रखाव और मजदूरी पर्ची जारी करने सहित संबंधित श्रम कानूनों और नियमों के उपबंधों को विधिवत रूप से लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बीएसएनएल में कार्यालय रखरखाव, ड्राइविंग, संरक्षण, टावरों के रख-रखाव और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के रख-रखाव में लगे ठेका कामगारों को निर्धारित और देय न्यूनतम मजदूरी का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और लागू मजदूरी दरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक बीएसएनएल दूरसंचार सर्कल में ठेकेदारों की नियुक्ति की निगरानी करने और ठेका श्रम प्रणाली के संबंध में श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रधान नियोक्ता के रूप में नामित अथवा अन्यथा उत्तरदायी अधिकारियों के नाम और पदनाम का क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) बीएसएनएल बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के संचालन और रखरखाव के लिए सेवाओं (सेवा स्तर समझौते आधारित) के लिए अपनी खरीद नीति और लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियुक्त करता है, जिसमें कार्यालय रखरखाव, ड्राइविंग, संरक्षण, टावर रखरखाव और ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) रखरखाव भी शामिल हैं।

अनुबंध में लागू सभी श्रम कानूनों जिसमें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बोनस और लागू वैधानिक अभिलेखों का रखरखाव शामिल है और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन निर्धारित किया जाता है।

सर्किल प्रमुख/व्यवसाय क्षेत्र प्रमुख ठेकेदारों की भागीदारी की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। श्रम कानूनों के वैधानिक अनुपालन की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, जिसकी बीएसएनएल द्वारा निगरानी की जाती है।
